प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.12.2024

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा घर से मोबाइल फोन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 24-12-24 में श्री आशु पुत्र श्री मांगराम निवासी म0नं0 111 संगम विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरे 02 मोबाइल फोन और कुछ पैसे चोरी कर लिये है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 26-12-24 को मुखबिर की सूचना पर नंदी पार्क के पास से 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 चोरी किये मोबाइल फोन बरामद किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम कम पढे लिखे है, तथा हम दोनो नशा करते है। नशे के शौक को पूरा करने के लिये व अपने अन्य खर्चे करने के लिये हम चारो चोरी करते है।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पता –

1. नसीम पुत्र सद्दीक निवासी सिहानी गांव ईदगाह तालमदीन के मकान में थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष
2. मनीष पुत्र दौलतराम निवासी एस बी एन स्कूल बाम्बे कालोनी थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. अभि0 नसीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग चोरी के व 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
2. अभि0 मनीष उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग चोरी के पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

1 एक मो0फोन रेडमी 9ए कंपनी का मोबाईल IMEI न01 864409061558043, IMEI न02 864409061558050 2 एक मोबाइल फोन रेडमी रंग काला।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान अवैध रुप से हुक्का बार चलाने वाले मालिक सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 हुक्का व हुक्के में प्रयोग की जाने वाली सामग्री (फ्लैवर्ड तम्बाकू) बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 25.12.24 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि प्लॉट नं0 32 दुकान नं0 LG-4 कैलाश कुँज कैफे ड्रीम्स 80 फुटा रोड थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद में अवैध हुक्का बार चल रहा है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर कैफे ड्रीम्स 80 फुटा रोड थाना शालीमार गार्डन पर पहुचकर अवैध रुप से हुक्का बार चलाने वाले मालिक सहित 02 अभियुक्त 1. मालिक जैद खान पुत्र शहजाद खान निवासी बी-5 यूजी-01 डीएलएफ शालीमार गार्डन गाजियाबाद मूल पता डी-113 डी ब्लॉक न्यू सीमापुरी उम्र करीब 24 वर्ष, 2. मैनेजर पंकज चौधरी पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी 337 छोटा ठाकुरद्वार शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष को 06 हुक्का व हुक्के में प्रयोग

की जाने वाली सामग्री (फ्लैवर्ड तम्बाकू) सहित प्लॉट नं0 32 दुकान नं0 LG-4 कैलाश कुँज कैफे ड्रीम्स 80 फुटा रोड थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त जैद खान पुत्र शहजाद व पंकज चौधरी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 21/22 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त जैद खान पुत्र शहजाद व पंकज चौधरी पुत्र धर्मपाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि कैफे ड्रीम्स के अन्दर 02 व्यक्ति थे। जिसमें से अभियुक्त जैद खान ने अपने आप को कैफे का मालिक बताया और दूसरा अभियुक्त पंकज चौधरी पुत्र धर्मपाल सिह ने अपने आप को कैफे का मैनेजर बताया। जब दोनो अभियुक्तों से कैफे चलाने का लाइसेंन्स मांगा गया तो लाइसेंन्स दिखा नही पाए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. जैद खान पुत्र शहजाद खान निवासी बी-5 यूजी-01 डीएलएफ शालीमार गार्डन गाजियाबाद मूल पता डी-113 डी ब्लॉक न्यू सीमापुरी उम्र करीब 24 वर्ष।
2. पंकज चौधरी पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी 337 छोटा ठाकुरद्वार शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से 06 हुक्का व हुक्के में प्रयोग की जाने वाली सामग्री (फ्लैवर्ड तम्बाकू) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा थाना शालीमार गार्डन क्षेत्रान्तर्गत 01 दम्पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 17.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना शालीमार गार्डन क्षेत्रान्तर्गत 01 दम्पति रीना व पंकज निवासी ए- 124 शालीमार गार्डन एक्स0-2 गाजियाबाद द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी है। तत्काल इस सूचना पर थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम मौक पर पहुंची तो घटना स्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसके आधार पर तत्काल अन्तर्गत धारा 108 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 26.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 दम्पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले 01 अभियुक्त 1. हरेन्द्र पुत्र तेजपाल नि0 ग्राम खरखडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष को भोपुरा ठेके के पास थाना शालीमार गार्डन से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 19.12.2024 को ही 02 अभियुक्त 1.धैर्य नैगी पुत्र महेन्द्र पाल, 2. श्याम पुत्र तौमचऊ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर, प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र खडखडी उपरोक्त ने पूछताछ में बताया गया कि धैर्य और पंकड गुप्ता ने मिलकर अक्टूबर 2021 में क्रास रिवर माल दिल्ली में 4 क्वार्टर नाम से एक क्लव खोला था। जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी पंकज गुप्ता की थी और 50 प्रतिशत में धैर्य नेगी व रजत तौमर और विनय उर्फ कपिल की थी। जिसका किराया 4 लाख रुपये प्रति महीना था किन्हीं कारणों से माह दिसम्बर 2021 में क्लब बन्द हो गया था जो लगभग एक वर्ष तक बन्द रहा। जिसका लगभग 48 लाख रुपये किराये की देनदारी धैर्य और पंकज गुप्ता के ऊपर बन गयी थी। जिसके बाद इन लोगों को वर्ष 2023 में क्लब बेचना पडा था। जिसमें इन लोगों का काफी नुकसान हुआ था। उसी की भरपाई के लिए धैर्य नेगी ने कई बार पंकज गुप्ता से पैसे मांगे लेकिन पंकज गुप्ता पैसे नही दे रहा था तो धैर्य नेगी ने मुझसे कहा था कि पंकज गुप्ता पैसे नहीं दे रहा था। तो मैने धैर्य नेगी के लिए पंकज गुप्ता को फोन किया था जांच मे यह भी तथ्य प्रकाश मे आए है कि हरेन्द्र खडखडी के द्वारा पैसे के लिए पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी को बार-बार डराया और धमकाया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

हरेन्द्र पुत्र तेजपाल नि0 ग्राम खरखडी थाना लोनी गाजियावाद उम्र 37 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, थाना लोनी में रंगदारी, हत्या, धमकी , गैंगस्टर के 08 अभियोग, थाना कविनगर में हत्या के प्रयास का 01 अभियोग व कमिश्नेट गौतम बुद्ध नगर में हत्या का 01 अभियोग कुल 12 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा कपंनी से 16000/- रु0 चोरी करके चोरी की झूठी सूचना देकर गुमराह करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कम्पनी से चोरी किए हुए 16000/- रु0 बरामद।

कार्यवाही का विवरण:-

आज दिनांक 26.12.24 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी पवन कुमार पुत्र भगवान सिंह नि0 म0नं0 61, गली नं016/16 सबोल दिल्ली की लिखित तहरीर पर अभियुक्तगण 1. हर्ष पांचाल पुत्र नरेश कुमार पता म0नं0 273 बुद्ध विहार मण्डोली दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष, 2. गौरव कुमार पुत्र राजकुमार पता हर्ष विहार किराये का मकान दिल्ली स्थाई पता ग्राम सूरजपुर मुखैना थाना डिबाई बुलन्दशहर उम्र करीब 28 वर्ष द्वारा विवेकानन्द चौक विक्रम एन्कलेव शालीमार गार्डन गाजियाबाद से कम्पनी के 16000/-रु0 चोरी करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त 1. हर्ष पांचाल पुत्र भगवान, 2. गौरव कुमार पुत्र राजकुमार निवासी उपरोक्त को विक्रम एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 306,317(2),217 बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त हर्ष पांचाल व गौरव कुमार से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये की दोनो अभियुक्त ई काम एक्सप्रेस डिलीवरी सेन्टर विवेकानन्द चौक विक्रम इन्कलेव शालीमार गार्डन गाजियाबाद में काम करते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी के 16000/- रु0 चुरा कर अपने पास रख लिये थे। अभियुक्तगण द्वारा ही पुलिस व कंपनी के पवन कुमार को गुमराह करने के लिए चोरी की झूठी सूचना दी गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. हर्ष पांचाल पुत्र नरेश कुमार पता म0नं0 273 वुद्ध विहार मण्डोली दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।
2. गौरव कुमार पुत्र राजकुमार पता हर्ष विहार किराये का मकान दिल्ली स्थाई पता ग्राम सूरजपुर मुखैना थाना डिबाई बुलन्दशहर उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से कम्पनी से चोरी किए हुए 16000/- रु0 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त हर्ष पांचाल व गौरव कुमार के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।